

512

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0.....दिनांक 03.09.2020 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	2	3	4
	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	जुलाई, 2019	319
		अगस्त, 2019	320
		सितम्बर, 2019	322
		अक्टूबर, 2019	325
		नवम्बर, 2019	328
		दिसम्बर, 2019	330
		कुल	1944
		छ: माह का औसत	$\frac{1944}{6} = 324$
		24.10.2019 में पुनरीक्षित /निर्धारित बिन्दु अर्थात्	301 $324-301=23$ बिन्दु
		प्रतिशत वृद्धि 23×100	=7.64% की वृद्धि
		301	

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त अनुसूची सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2019 (वर्ष 2019 का द्वितीय अद्वारा) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.04.2020 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम0डबलू-2071/2010, श्र0नि0- 914 राँची, दिनांक 03.09.2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2537
02/09/2020
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

(51)

एस0ओ0.....दिनांक 03.09.2020 का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/ एम0डबलू-2071/2010, श्र0नि-914 राँची, दिनांक 03.09.2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2538/02/09/2020
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../ dated/ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand	July, 2019	319
		August, 2019	320
		September , 2019	322
		October, 2019	325
		November , 2019	328
		December, 2019	330
		Total-	1944
		Average	1944 6 = 324-301 =23 Point = 7.64 % की वृद्धि

(510)

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2019, which is 2nd half of 2019, will be payable from 01-04-2020

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 915 Ranchi, Dated 03.09.2020]

By Order of the Governor of Jharkhand,

25/3/2019/2020

Under Secretary to Government

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 915

राँची, दिनांक 03.09.2020

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाषनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25/3/2019/2020

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 915 राँची, दिनांक 03.09.2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/2019/2020

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 915 राँची, दिनांक 03.09.2020

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

25/3/2019/2020

सरकार के अवर सचिव।

५८

अनुसूची-१

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से तक का जिस पर चयनतम माजदूरी दर्दे हैं।	जुलाई 2019 से तक का जिसपर महांगाई भता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (5-4)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महांगाई भता की राशि देनी होगी।
१	२	३	४	५	६	७	८
१	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों / उपक्रमों/ बोर्डों / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	अधिसूचना सं०-१८७९ दिनांक- २४.१०.२०१९	३०१	३२४	२३	क) रु० २९४.४४ पर रु० २२.४९ प्रतिदिन ख) रु० ३१४.०७ पर रु० २३.९९ प्रतिदिन ग) रु० ४०५.६८ पर रु० ३०.९९ प्रतिदिन घ) रु० ४७१.११ या अधिक रु० ३५.९९ प्रतिदिन	दिनांक:-०१.०४.२०२०
					मासिक		
					क) रु० ७६५५.४४ पर रु० ५८४.७४ प्रतिमाह		
					ख) रु० ८१६३.८२ पर रु० ६२३.७४ प्रतिमाह		
					ग) रु० १०५४७.६८ पर रु० ८०५.७४ प्रतिमाह		
					घ) रु० १२२४८.८६ या अधिक ९३५.७४ प्रतिमाह		

(संख्या-१/एम०डब्लू०-२८/२०१७, श०नि०- ११४ राँची, दिनांक ०३.०७.२०२०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

रामेश्वर सिंह
सरकार के अव० सचिव।

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July-December, 2019 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	3	4	5	6	7
1	"Employments of workers engaged in Government offices/ undertakings/ Boards & Local Bodies in the State of Jharkhand	Notification No-1879, 1482 Date 24-10-2019	301	324	23	(a) On Rs. 294.44 Rs. 22.49 per day (b) On Rs. 314.07 Rs 23.99 per day (c) On Rs. 405.68 Rs. 30.99 per day (d) Rs. 471.11 and above Rs. 35.99 per day	From 01-04-2020
						Monthly	
						(a) On Rs. 7655.44 Rs. 584.74 per month (b) On Rs. 8163.82 Rs. 623.74 per month (c) On Rs. 10547.68 Rs. 805.74 per month (d) Rs. 12248.86 and above Rs. 935.74 per month	

No-1/MW-28/2017,L & T.....9/4..... Ranchi, Dated03.09.2020.

By order of the Governor of Jharkhand,

(500)
25/10/2020